प्रपत्र–V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाऐं)	18	प्रस्तावित क्षेत्र मार्ग उन्नयन का प्रकरण हैं जिसमें 31.679 हे. वनभूमि प्रभावित हो रही है। यह मार्ग जिन वन क्षेत्रों से होकर गुजरता है वह सतपुड़ा, पेंच कॉरीडोर क्षेत्र में आता है। भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8–64/2013–एफ.सी., दिनांक 20.08.2014 से स्पष्ट किया है कि वन (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृति राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड से अनुमति प्राप्त न होने के कारण लंबित नहीं रखा जावेगा। चूंकि सतपुडा, पेंच कॉरीडोर अधिसूचित नहीं है। अतः इस मार्ग के विषय में राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड से अनुमति लेने की आवश्यकता है अथवा नहीं यह स्पष्ट नहीं है। अतः अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश की अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने हेतु इस शर्त के साथ अनुशंसित किया जाता है कि यदि राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो तो आवेदक इसे प्राप्त करेगा।

दिनांकः 15.01.2015
स्थानः भोपाल

हस्ताक्षर (प्रमोद कुमार) 14/1/15
सचिव
नाम साफ अक्षरों में म.प्र. शासन, वन विभाग
पदनाम
(सरकारी मोहर)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)